



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166678

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7784**

**सन् 2026**

जुबिन उर्फ जुबिन खान और अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

---

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : दिनेश कुमार यादव

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता राम कुमार यादव

---

**न्यायालय संख्या - 71**

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला**

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राम कुमार यादव और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 271 सन् 2026, अन्तर्गत धारा 115 (2), 333, 191(2), 109(1), 352, 351(3) बी.एन.एस, थाना- किठोरी, जिला- मेरठ इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदकगण को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदकगण को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में लगभग दो महीने की देरी हुई है। घायल व्यक्ति को ऐसी कोई चोट नहीं आई है जिसे गंभीर या जानलेवा माना जा सके। डॉक्टर की बाद की मेडिकल रिपोर्ट में भी चोटों को जानलेवा नहीं बताया गया है। आवेदकगण का दो अन्य प्रकरणों में आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन उन्हें पहले किसी प्रकरण में दोषी नहीं ठहराया गया है और दोनों प्रकरणों में वे ज़मानत पर हैं।

4. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदकगण ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचनाकर्ता के भाई पर बेरहमी से हमला किया। सूचनाकर्ता के भाई पर पेपर स्प्रे से भी हमला किया गया। शरीर के अहम हिस्सों पर चोटें आई हैं। जान से मारने का इरादा साफ़ था और आवेदकगण को कोई राहत प्रदान नहीं की जानी चाहिए। सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में दो महीने की देरी हुई है। घायल व्यक्ति को लगी चोटों में से किसी को भी गंभीर या जानलेवा नहीं बताया गया है। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज में भी, जिसकी जानकारी विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को दिखाए गए पुलिस अभिलेख में दर्ज है घायल के साथ की जा रही वास्तविक मारपीट कैद नहीं हुई है।

7. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदकगण को अग्रिम ज़मानत देना उचित समझता हूँ।

8. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, आवेदकगण का अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. यदि आवेदकगण - **ज़ुबिन उर्फ़ ज़ुबिन खान और जमील खान** को गिरफ़्तार किया जाता है, तो उन्हें संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का अपना व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम ज़मानत पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वे इन शर्तों का पालन करें:-

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



- i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदकगण पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाज़िर होंगे।
  - ii. आवेदकगण प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।
  - iii. आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।
  - iv. आवेदकगण अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेंगे या उन्हें डराएंगे-धमकाएंगे नहीं।
10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

10 अगस्त, 2026

ए. पांडे